न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्रीमती कुसुमलता चौहान (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– 176 / 2011

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
अनराज कच्छवाहा के का. मु.– 1. बालकिशन पुत्र अनराज के का.मु. 1/1 मुकेश पुत्र स्व0 बालकिशन जाति माली निवासी 239, पाली दरवाजा के अन्दर, सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान।		1. तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत। 2. सूरजमल पुत्र चौलारामजी माली निवासी बेरा बोबाडी, सोजत सिटी तह0 सोजत, पाली। 3. मृतक शंकरलाल पुत्र चौलाराम के का.मु. 3/1 सुकनीदेवी पत्नी शंकरलाल 3/2 भंवरलाल पुत्र शंकरलाल जातिगण माली निवासीगण बेरा बोबाड़ी, सोजतसिटी तह0 सोजत जिला पाली राज0।
प्रार्थी :–	बनाम	3/2/1 गीताबाई पत्नि भंवरलाल 3/2/2 श्याम 3/2/3 महेन्द्र 3/2/4 अशोक पिसरान भंवरलाल जातिगण माली निवासीगण सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान। 3/3 साउदेवी पुत्री शंकरलाल 3/4 रामलाल पुत्र शंकरलाल 3/5 गोपाराम पुत्र शंकरलाल 3/6 जगदीश पुत्र शंकरलाल जातिगण माली निवासीगण बेरा बोबाड़ी, सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान। 4. मृतक देवाराम पुत्र चौलाराम के कायम मुकाम 4/1 शांतिदेवी पत्नी देवाराम 4/2 सीतादेवी पुत्री देवाराम 4/3 बस्तीराम पुत्र देवाराम 4/4 कौशल्या पुत्री देवाराम 4/5 पपीया पुत्र देवाराम 4/6 प्रकाश पुत्र देवाराम जातिगण माली निवासीगण बेरा बोबाड़ी, सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा आदेश 39 नियम 1,2 सी0पी0सी0

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

उपस्थितिः–

1. श्री आनन्दीलाल भाटी अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. तहसीलदार (भूमिधारक) स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक :– 30/05/

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा आदेश 39 नियम 1, 2 सी0पी0सी0 विरूद्ध अप्रार्थी का पेश किया। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि सरहद मौजा सोजत चक द्वितीय के सैटलमेंट से पूर्व पुराने खसरा नंबर 1216/1 रकबा 73 बीघा 2 बिस्वा की कृषि भूमि हिमता पुत्र शिमजी, गुला पुत्र सीमा, जीता पुत्र जसा, कौम माली की खातेदारी कृषि भूमि थी। उक्त कृषि भूमि से 19.5 बीघा 2 बिस्वा कृषि भूमि अनराज ने 26.06.1967 को जरिये रजिस्ट्री क्रय कर पंजीयन करवाई। तब से प्रार्थी अपनी खरीदसुदा कृषि भूमि पर कब्जा काश्त कर रहा हैं। उक्त कृषि भूमि में आवागमन हेतु प्रार्थी ने शंकरलाल पुत्र चोलाजी, देवाराम पुत्र चोलाजी, सूरजमल पुत्र चोलाजी से 100 गट्टा लंबा और पौन गट्टा चौड़ा रास्ता उपयोग उपभोग हेतु इनकी खातेदारी में से खसरा नंबर 515 मे से दिनांक 20.07.1967 अपने हक हिस्से लिखा पढ़ी करवा ली थी। उस लिखा पढ़ी के आधार पर राजस्व रेकर्ड में नामा0 सं0 462 इन्द्राज किया जाकर संवत् 2022–25 की खातेदारी में प्रार्थी के नाम पुराने खसरा नंबर 1215/1 रकबा तीन बिस्वा का अलग से खातेदारी का इन्द्राज किया गया। तब से उपरोक्त कृषि भूमि में आवागमन हेतु खसरा नंबर 1215/1 में स्थित रास्ते का उपयोग उपभोग निर्बाध रूप से प्रार्थी कर रहा हैं। सैटलमेंट से पूर्व खसरा नंबर 1216/1 के नये खसरा नंबर 1042 रकबा 3.26 है0 बने पुराने खसरा नंबर 1215 के नये सैटलमेंट के पश्चात् नये खसरा नंबर जो रास्ते की जमीन थी वो खसरा नंबर 1058 बनें व सम्पूर्ण 1215 के खसरा नंबर 1058, 1064, 1057 बने थें। प्रार्थी अनराज द्वारा पुराने खसरा नंबर 1223 व 1224 खरीद की गई भूमि के नये खसरा नंबर 1059 बने, जिसमें रकबा 1.23 है0 पर्चा लगान जारी हुआ। पुराने सैटलमेंट के अनुसार पौने आठ बीघा एक बिस्वा कृषि भूमि के अनुसार एक एयर भूमि की प्रविष्टी कम दर्ज कर दी गई। दिनांक 3.10.2011 को तहसील कार्यालय द्वारा धारा 91 का नोटिस प्राप्त हुआ, जिससे प्रथम बार प्रार्थी को जानकारी हुई। प्रार्थी जो कि स्वयं खातेदार था, सैटलमेंट अधिकारियों की गलतीवश उसे अतिक्रमी माना जाकर धारा 91 की कार्यवाही की गई। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा गलत प्रविष्टी के आधार पर प्रार्थी की अतिक्रमी दर्ज किया जाकर बेदखली की कार्यवाही की जाती है तो प्रार्थी अपने हक अधिकारों से महरूम हो जायेगा। विकल्प में प्रार्थी के आवागमन हेतु कोई अन्य पगडंडी एवं रास्ता नहीं हैं। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में हैं एवं सहूलियत का पलड़ा प्रार्थी के पक्ष में है, यदि प्रार्थी को बेदखल किया जाता है तो प्रार्थी को इससे अपूर्णिय क्षति होगी, जिससे अप्रार्थीगण को सरहद मौजा सोजत चक द्वितीय के ख0नं0 1059 व 1042 की भूमि में आवागमन हेतु प्रार्थी की खरीद की गई कृषि भूमि 1215/1 (नये खसरा नंबर 1058) के कब्जे काश्त में एवं उपयोग उपभोग में दखल अंदाजी नहीं करने तथा प्रार्थी को अतिक्रमी मानकर उसके विरूद्ध बेदखल की कार्यवाही को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा रोके जाने की ईश्तदुआ की हैं।

अप्रार्थी सं0 2, 3 व 4 ने ईकबालिया जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर माफिक ईश्तदुआ प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया हैं। अप्रार्थी सं0 1 ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर पैरा सं0 1 प्रार्थी स्वयं सिद्ध करें एवं अन्य बिन्दु कानूनी एवं दस्तावेजी आधार पर साबित किये जाने का निवेदन किया हैं।

बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि सैटलमेंट से पूर्व खसरा नंबर 1216/1 के नये खसरा नंबर 1042 रकबा 3.26 है0 बने पुराने खसरा नंबर 1215 के नये सैटलमेंट के पश्चात् नये खसरा नंबर जो रास्ते की जमीन थी वो खसरा

उप खण्ड अधिकारी ... जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

नंबर 1058 बने व सम्पूर्ण 1215 के खसरा नंबर 1058, 1064, 1057 बने थें। प्रार्थी अनराज द्वारा पुराने खसरा नंबर 1223 व 1224 खरीद की गई भूमि के नये खसरा नंबर 1059 बने, जिसमें रकबा 1.23 है0 पर्वा लगान जारी हुआ। पुराने सैटलमेंट के अनुसार पौने आठ बीघा एक बिस्वा कृषि भूमि के अनुसार एक एयर भूमि की प्रविष्टी कम दर्ज कर दी गई। जिससे अप्रार्थी सं0 1 प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा हैं। जिसे वाद निर्णय तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा रोके जाने की ईश्तदुआ की हैं। जबाव बहस में तहसीलदार सोजत ने व्यक्त किया कि वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार खसरा नंबर 1062 की कृषि भूमि सिवायचक दर्ज होने से प्रार्थी के विरूद्व बतौर अतिक्रमी मानते हुये भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की गई थी। वर्तमान में खसरा नंबर 1064 की भूमि नगरपालिका सोजत के नाम दर्ज सुदा हैं। जिससे प्रार्थी को किसी प्रकार अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती हैं। प्रार्थी को प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जबाव प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस वकुलाय पर मनन किया गया। सरहद मौजा सोजत चक द्वितीय के खसरा नंबर 1058 के वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार इनके खातेदार राजेश परिहार पुत्र चम्पालाल हैं, जिन्हे प्रार्थना पत्र में पक्षकार नही बनाया गया हैं। प्रार्थी द्वारा इसी खसराजात की भूमि में अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गई तथा खसरा नंबर 1062 की भूमि भी नगरपालिका सोजत के नाम वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्जसुदा हैं। यद्यपि पक्षकारों के हक अधिकारों को मूल वाद में गुणावगुण के आधार पर तय किया जायेगा तथापि बर्तमान परिपेक्ष्य में हस्तगत प्रकरण में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

-:: आदेश ::-

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता हैं।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 30/05/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत